

प्रेषक,

अमिताभ कौशल  
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची ;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 12/02/2020

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 में लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 13 अदद लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु रूपये 0.888 लाख (रूपये अठासी हजार आठ सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-04/2017-18, दिनांक -21.04.2017; Online AA- 448, Dated- 02.05.2017  
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है : -

क्र०	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101-सतही जल/ 20- पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य	05-निर्माण/ 45- निर्माण कार्य विपत्र कोड- 50S470200101200545	0.888

आवंटित राशि - रु. अठासी हजार आठ सौ मात्र।

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध राशि रु. 6200.00 लाख (बासठ करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747 /वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
- राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)  
संयुक्त सचिव

10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को समय उपलब्ध कराया जाय।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. विभिन्न इकाई मर्दों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।


नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

  
(अमिताभ कौशल)  
सचिव

ज्ञापांक :— १५०

रॉची, दिनांक :—


  
12/02/2020

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक्क) झारखण्ड पो. — हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/गढ़वा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुलग्नक—यथोक्त्।


  
(अमिताभ कौशल)  
सचिव

ज्ञापांक :— १५०

रॉची, दिनांक :—

  
12/02/2020

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्त्रा-7 को दस अंतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुलग्नक—यथोक्त्।

  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

  
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)  
संयुक्त सचिव

  
(अमिताभ कौशल)  
सचिव

विभागीय पत्रांक ..... २५०

दिनांक ..... १०/०२/२०२०

का अनुलागक परिशेष्ट -1

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत व्यय  
लघु शीर्ष-101-सतही जल,

उप शीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का संपोषण एवं मुनस्थापन  
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण

संशोधित बजट उपवध (2019-20) – 6200.00 लाख

विपत्र कोड- 470200101200545

(राशि लाख में)

क्र.	लघु सिंचाई प्रमङ्गल का नाम	जिला प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			वर्ष 2019-20 में					योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अनुचित	
				राशि	प्रसंग	Online प्रसंग	एकरारित राशि	मार्च 2019 तक व्यय	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन				
1	बडगाड	बरकोल मध्यम सिंचाई योजना	54.457	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	गढवा	बलहा मध्यम सिंचाई योजना का जीणां०	28.067				41.581	41.221	0.500	0.021	0.521	41.742			
3		बांधी नाला मध्यम सिंचाई योजना का जीणां०	39.51				24.489	23.977	0.500	0.017	0.517	24.494			
4		रस्का रस्की नाला मध्यम सिंचाई योजना का जीणां०	23.787				30.510	29.940	0.500	0.082	0.582	30.522			
5		सोहोबरिया मध्यम सिंचाई योजना का जीणां०	99.977				21.240	19.481	1.000	0.042	1.042	20.523			
6		केरल सोहोबरिया मध्यम सिंचाई योजना का जीणां०	28.907				85.066	84.735	1.000	0.155	1.155	85.890			
7	(GRHMR001) गढवा	चना मध्यम सिंचाई योजना का जीणां०	34.465	04/2017-18 dt 21.04.2017	448	29.127	28.810	0.500	0.082	0.582	29.392	85594			
8		जमुनदाहा मध्यम सिंचाई योजना का जीणां०	56.100	dt 02.05.17		24.870	23.824	1.000	0.160	1.160	24.984				
9		बरडीहा बरडीहा मध्यम सिंचाई योजना का जीणां०	85.860	73.315		41.115	40.753	0.500	0.021	0.521	41.274				
10		रसना बहीया मध्यम सिंचाई योजना का जीणां०	24.154	21.502		16.588	15.510	0.500	0.021	0.521	16.031				
11		करोनीया मध्यम सिंचाई योजना का जीणां०	17.653	15.510		58.682	58.568	0.500	0.082	0.582	59.150				
12		रेखवा मध्यम सिंचाई योजना का जीणां०	68.124	29.579		29.120	0.500	0.021	0.521	29.641					
13		मध्डरिया मध्यम सिंचाई योजना का जीणां०	34.008	595.069		497.664	486.790	10.160	0.888	11.048	497.838				
		योग :-													

250

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अधि.)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)  
संयुक्त सचिव

(अमिताम कौशल)  
सचिव